फाइल नं0-71-3002(001)/7/2021-03

13/2025/1/873568/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
जौनपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 06 फरवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मेडि0का0जौ0/2024-25/2170, दिनॉक 13.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-44/2024/1/519575/2024-71-3002(001)/7/2021-03, दिनॉक 14.03.2024 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 54673.67 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 47983.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या- 31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-47-मेडिकल कालेज, जौनपुर हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 8963.00 लाख के सापेक्ष रू0 3956.14 लाख (रू0 उनतालीस करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(2) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

(7) शासनादेश संख्या-44/2024/I/519575/2024-71-3002(001)/7/2021-03, दिनॉक 14.03.2024 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 39,56,14,000 (रुपये उनतालीस करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 42100310547 मेडिकल कालेज, जौनपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जौनपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in